

देश क्रमांक	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
-------------	------------------------------------	--------------------------------

अभिलेख उपस्थापित अंचल अधिकारी, कुर्छ के पत्रांक 21 दिनांक 9/11/18 के द्वारा अभिलेख सं० 404/16-17 प्राप्त हुआ है जिसमें अंचल अधिकारी, द्वारा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत कार्रवाई करते हुए संपूर्ण जाँच के उपरांत इस वाद में कायम जमाबंदी को वैध ठहराते हुए BLRA 1950 के धारा 4(h) के तहत कार्रवाई समाप्त करने के उपरांत सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 05/स० भू० को० (अवैध हस्तांतरण) 123/2016-2861/रा० दिनांक 08.06.17 के आलोक में पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने से संबंधित निम्न भूमि का अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त है।

**भूमि का विवरण**

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जाति
1	2	3	4	5	6
<u>विष्णु</u>	<u>60</u>	<u>33</u>	<u>362</u>	<u>2.00 एब्ब</u>	<u>हांस</u>

अतः अंचल अधिकारी, कुर्छ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एवं सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं० 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के निदेशानुसार श्री/श्रीमती/सुश्री विष्णु उग्र पिता सुखदा उग्र ग्राम विष्णु के नाम से पंजी ii में दर्ज एवं अनुशंसित उपरोक्त भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु अनुशंसा किया जाता है। तथा निर्गत शुद्धि पत्र की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार प्रस्तावित भूमि की पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

23-1-2018  
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
खुटी।

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
खुटी।